मिड-डे मील योजना के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

*कमलेश कुमार चौधरी**

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु *मिड-डे मील* योजना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम है, किंतु जिस तरह से इस योजना के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में संपादकीय एवं समाचार पढ़ने को मिलते हैं उससे इस योजना की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन संबंधी कमियाँ उजागर होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन एवं प्रयास है यह जानने का कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षण इस योजना के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हैं।

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। किसी भी राष्ट्र में प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस राष्ट्र के नागरिक कितने जागरूक हैं। नागरिकों की जागरूकता, राष्ट्र के साक्षरता-प्रतिशत एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसीलिए शिक्षा आयोग (1964-66) ने कहा है कि ''भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है।... हमारे स्कूल और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता एवं सँख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निमाण के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना है।'' बघेला, माहेश्वरी एवं भोजक (1985) के अनुसार शिक्षा की महत्ता को देखते हुए ही "संविधान के अनुच्छेद 45 में निविष्ट निर्देशक तत्व की पूर्ति के संबंध में कहा गया है कि राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए।'' भारत (2005) में उल्लिखित है कि ''86वां संविधान संशोधन विधेयक 13 दिसंबर, 2003 को अधिसूचित हुआ था।

*उपाचार्य, शिक्षा विभाग, एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.).

इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है।'' यह संवैधानिक व्यवस्था इसीलिए की गयी, जिससे कोई भी बालक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए।

निस्संदेह मानव के व्यक्तित्व के विकास एवं राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि इसके माध्यम से सुयोग्य एवं रचनाशील श्रमशक्ति युक्त मानव का सृजन होगा, जो राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान में योगदान देने में सक्षम होंगे। परंतु सन् 2001 की जनगणना (संदर्भ - भट्ट एवं भार्गव 2005) के अनुसार भारत की साक्षरता मात्र 65.38 प्रतिशत है। अत: स्पष्ट है कि देश के आज़ाद होने के लगभग 60 वर्ष बाद भी हम शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य से काफी दूर हैं। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसमें गुणात्मक सुधार हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, यथा निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्वशिक्षा अभियान, मीडिया प्रचार योजना, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा वर्तमान में संचालित एक अति महत्त्वाकांक्षी मिड-डे मील योजना।

मध्याह्न भोजन योजना संदर्शिका (2006) में *मिड-डे मील* योजना के संचालन के पीछे यह तर्क दिया गया है कि ''उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में निम्न आयवर्गीय अभिभावकों के अधिकांश बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर 60 प्रतिशत बच्चे प्रात:काल बिना भोजन किए विद्यालयों में पढ़ने आते हैं। इनमें से 15.3 प्रतिशत बच्चे स्कूली शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय छोड़ देते हैं।'' राज्य सरकार इस विषम समस्या के समाधान हेतु आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों को न केवल छात्रवृत्ति देती है, अपितु परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराती है साथ ही बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उन्हें ड्रेस दिए जाने का भी प्राविधान है। उक्त सुविधाएँ प्रदान किए जाने के पश्चात भी यह देखा गया है कि यदि बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, तो उनकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में खराब परिणाम प्रदर्शित करते हैं तथा पढ़ाई पूरी करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं।

अत: स्वस्थ एवं विकसित समाज की संकल्पना को साकार करने हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना, निस्संदेह एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 1995 में प्रारंभ हुई थी। उस समय इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह तीन किलोग्राम गेहूँ या चावल दिया जाता था। बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी कक्षा में उपस्थिति पर अपेक्षित प्रभाव न पड़ने के कारण ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका सँख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के संबंध में, पका-पकाया भोजन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में ही

उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर, 2004 से पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू हुई। इस योजना से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति की आशा की गई-

- प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि।
- विद्यार्थियों को स्कूल में पूरे समय रोके रखने तथा विद्यालय छोड़ने (ड्राप-आउट) की प्रवृत्ति में कमी।
- निर्बल आय-वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
- विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार प्रदान करना।
- विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई-चारे की भावना जागृत करना।

निस्संदेह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिड डे-मील योजना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम है, किंतु जिस तरह से इस योजना के संबंध में दैनिक समाचारपत्रों में संपादकीय एवं समाचार पढ़ने को मिलते हैं उससे इस योजना की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन संबंधी कमियाँ उजागर होती हैं यथा -

''स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा मिड-डे मील, जाँच रिपोर्ट में खुलासा, 16 ग्राम प्रधानों को नोटिस'' (दैनिक जागरण, बरेली संस्करण, 13 अगस्त, 2008, पृ. 7)।''

''बच्चों को नहीं बांटा दोपहर का भोजन'' (दैनिक जागरण, बरेली संस्करण, 13 मई, 2008, पृ. 8)।

''मिड-डे मील न देने का आरोप'' (अमर उजाला, बरेली संस्करण, 2 मई, 2008, पृ. 10)।

''माध्याह्न भोजन योजना — एक अच्छे मकसद का बुरा हश्र'' (दैनिक जागरण, बरेली संस्करण, 10 दिसंबर 2006, पृ. संपादकीय)।

कुशवाहा (2006) 'बच्चे फिर भूखे' सिंह (2007)।

''भूखे गणराज्य में जश्न कैसा? — कोई बच्चा बिना तालीम के न रहे, कोई हिंदुस्तानी भूखा प्यासा न मरे'' नदीम (2006) ''मुद्दा/ प्राथमिक शिक्षा, कब होंगे कामयाब''

''कब्रिस्तान में स्कूल — मिड-डे मील की गुणवत्ता भी सुधरने का नाम नहीं ले रही'' (दैनिक जागरण, बरेली संस्करण, 23 अप्रैल, 2008 पृ. 10)।

''शिक्षक और ग्राम प्रधानों की मिली। भगत के कारण प्रदेश के 11 मंडलों में बच्चों को खाना मीनू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है।'' (अमर उजाला, बरेली संस्करण, 29 नवंबर, 2006)।

''विद्यालयों में मिड-डे मील ठप'' (दैनिक जागरण, बरेली संस्करण, 29 नवंबर, 2006)।

''मीनू के अनुसार मिड-डे मील न बनने की शिकायत की गई'' (अमर उजाला, बरेली संस्करण, 8 दिसंबर, 2006)।

''हैडमास्टर गायब, मिड-डे मील में धांधली'' (दैनिक जागरण, आगरा संस्करण, 29 मई, 2007)।

इन समाचारों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में कहीं-न-कहीं कुछ खामियां हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण अंग शिक्षक, जो इन्हीं विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनका इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिकोण कैसा है?

क्या पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर है अथवा नहीं? यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसी जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया जा रहा है।

अध्ययन विधि - प्रस्तुत अध्ययन में शोध की वर्णनात्मक विधि को अपनाया गया है। इस अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अम्बेडकर नगर एवं बरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2007-08 में कार्यरत कुल 358 शिक्षकों का चयन सादृश्य न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया है। इनमें 211 पुरुष एवं 147 महिला शिक्षक हैं। दत्त संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित '*मिड-डे मील* योजना-दृष्टिकोण मापनी' को प्रयोग में लाया गया है। इस मापनी में कुल 31 कथन है। इन कथनों का उत्तर उनके सम्मुख सहमत/असहमत के नीचे बने खानों में सही ($\surd$) का चिह्न लगा कर देना था। प्रदतों से निष्कर्ष निकालने हेतु प्रतिशत एवं χ^2 की गणना की गई है। χ^2 की गणना प्रत्येक कथन पर सहमत/असहमत शिक्षकों की सँख्या के आधार पर की गई है।

अध्ययन के उद्देश्य

(क) मिड-डे मील योजना की व्यवस्था के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करना।

(ख) मिड-डे मील योजना की व्यवस्था के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

(ग) मिड-डे मील योजना की प्रभावशीलता के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करना।

(घ) मिड-डे मील योजना की प्रभावशीलता के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

परिकल्पना

(1) मिड-डे मील योजना की व्यवस्था के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं है।

(2) मिड-डे मील योजना की प्रभावशीलता के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं है।

तालिका 1 के अवलोकन से विदित होता है कि 18 कथनों में से मात्र 2 कथनों, कथन सँख्या 17 मिड-डे मील पकाने व पीने हेतु स्वच्छ पानी उपलब्ध है एवं कथन सँख्या 15 भोजन पकाने के स्थान पर साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखा जाता है, पर 80% से अधिक शिक्षक सहमत पाए गए। 18 कथनों में से मात्र तीन

तालिका 1

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मिड-डे मील योजना की व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

क्र.सं.	कथन	शिक्षकों की सँख्या (358)			
		सहमत	%	असहमत	%
1.	मिड-डे मील योजना द्वारा विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।	227	63.41	131	36.59
2.	मिड-डे मील योजना में उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न उच्च गुणवत्ता का है।	187	52.23	171	47.77
3.	मिड-डे मील योजना के अंतर्गत भोजन मीनू के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है।	278	77.65	80	23.35
4.	प्रति विद्यार्थी 2 रुपए कन्वर्जन कास्ट में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना संभव है।	193	53.91	165	46.09
5.	मिड-डे मील हेतु प्रदत्त धनराशि का दुरुपयोग ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है।	183	51.12	175	48.88
6.	मिड-डे मील हेतु रसोइया SC/ST या निर्बल वर्ग का है।	211	58.94	147	41.06
7.	मिड-डे मील के बर्तनों को विद्यालय में सुरक्षित रखना कठिन है।	223	62.29	135	31.37
8.	मिड-डे मील बनाने में अभिभावक भी हस्तक्षेप करते हैं।	123	34.36	235	65.64
9.	अधिकांश बच्चे मिड-डे मील के समय ही विद्यालय आते हैं।	148	41.34	210	58.66
10.	मिड-डे मील में विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है।	233	65.08	125	34.92
11.	मिड-डे मील नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।	274	76.54	84	23.46
12.	मिड-डे मील हेतु शासन द्वारा नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।	239	66.76	119	33.24
13.	बालक स्वच्छता के साथ मिड-डे मील ग्रहण करते हैं।	228	63.69	130	36.31
14.	विद्यार्थियों को समय पर मिड-डे मील उपलब्ध करवाना टेढ़ी खीर है।	145	40.51	213	59.49
15.	भोजन बनाने के स्थान पर सफाई का ध्यान रखा जाता है।	287	80.17	71	19.83
16.	भोजन पकाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध है।	271	75.70	87	24.30
17.	मिड-डे मील पकाने व पीने हेतु स्वच्छ पानी उपलब्ध है।	311	86.87	47	13.13
18.	भोजन पकाने के स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है।	230	64.25	128	35.75

कथन, कथन सँख्या-3, 11 एवं 16 क्रमशः मिड-डे मील योजना के अंतर्गत भोजन मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है, मिड-डे मील नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है तथा भोजन पकाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध है, से लगभग तीन-चौथाई शिक्षक सहमत पाए गए। कथन सँख्या - 1, 7, 10, 12, 13 एवं 18 क्रमशः विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, मिड-डे मील के बर्तनों को विद्यालय में सुरक्षित रखना कठिन है, विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है, मिड-डे मील हेतु शासन द्वारा नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराया जाता है, बालक स्वच्छता के साथ मिड-डे मील ग्रहण करते हैं तथा भोजन पकाने के स्थान पर सुरक्षा मानकों का प्रयोग किया जाता है। पर 60 से 70 प्रतिशत के मध्य शिक्षक सहमत पाए गए। कथन सँख्या — 2, 4, 5 एवं 6 क्रमशः मिड-डे मील योजना में उपलब्ध कराया जा रहा भोजन उच्च गुणवत्ता का है, प्रति छात्र 2 रुपया कन्वर्जन कास्ट में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना संभव है, मिड-डे मील हेतु प्रदत्त धनराशि का दुरुपयोग ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जाता है तथा मिड-डे मील हेतु रसोइया SCèkST या निर्बल वर्ग का है, पर 50 से 60% शिक्षक ही सहमत पाए गए। कथन सँख्या 9 अधिकाँश बच्चे मिड-डे मील के समय ही विद्यालय आते हैं तथा कथन सँख्या 14, विद्यार्थियों को समय पर मिड-डे मील उपलब्ध कराना टेढ़ी खीर है, से लगभग 40% शिक्षक सहमत थे। लगभग 35% शिक्षकों ने यह माना कि मिड-डे मील बनाने में अभिभावक हस्तक्षेप करते हैं।

तालिका 2 में मिड-डे मील की व्यवस्था से संबंधित कथनों पर बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया है। तालिका का अवलोकन करने पर विदित होता है कि कथन सँख्या 9 व 10 के अतिरिक्त अन्य किसी भी कथन पर पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं था। कथन सँख्या 9 अधिकांश बच्चे मिड-डे मील के समय ही विद्यालय आते हैं, से 77 (36.49%) पुरुष शिक्षक तथा 71 (48.30%) महिला शिक्षक सहमत थे। इस कथन पर पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य ज्ञात χ^2 का मान 4.98 पाया गया। कथन सँख्या 10 मिड-डे मील में विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है, से 128 (60.66%) पुरूष शिक्षक तथा 105 (71.43%) महिला शिक्षक सहमत पाई गई। इस कथन पर ज्ञात χ^2 मान 4.42 पाया गया। इन दोनों कथनों पर ज्ञात χ^2 मान 1 df पर 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः 18 कथनों में से मात्र इन दो कथनों के संबंध में शून्य परिकल्पना अस्वीकार की गई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इन दोनों कथनों पर पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है। पुरुष शिक्षकों की तुलना में सार्थक रूप से अधिक महिला शिक्षक इस बात से सहमत पाई गई कि अधिकांश बच्चे मिड-डे मील के समय विद्यालय आते हैं तथा मिड-डे मील में विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है।

तालिका 2

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों का मिड-डे मील योजना की व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

क्र.सं.	कथन	पुरुष-शिक्षक (211)				महिला-शिक्षक (147)				χ^2
		सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत	
1.	मिड-डे मील योजना द्वारा विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।	128	60.66	83	39.34	99	67.35	48	32.65	1.66
2.	मिड-डे मील योजना में उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न उच्च गुणवत्ता का है।	102	48.34	109	51.66	85	57.82	62	42.18	2.58
3.	मिड-डे मील योजना के अंतर्गत भोजन मीनू के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है।	168	79.62	43	20.38	110	74.83	37	25.17	1.15
4.	प्रति विद्यार्थी 2 रुपये कन्वर्जन कास्ट में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना संभव है।	106	50.24	105	49.76	87	59.18	60	40.82	2.80
5.	मिड-डे मील हेतु प्रदत्त धनराशि का दुरुपयोग ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है।	108	51.18	103	48.82	75	51.02	72	48.98	0.02
6.	मिड-डे मील हेतु रसोइया SCèkST या निर्बल वर्ग का है।	122	57.82	89	42.18	89	60.54	58	39.46	0.87
7.	मिड-डे मील के बर्तनों को विद्यालय में सुरक्षित रखना कठिन है।	135	63.98	76	36.02	88	59.86	59	41.14	0.63
8.	मिड-डे मील बनाने में अभिभावक भी हस्तक्षेप करते हैं।	69	32.70	142	63.30	54	36.73	93	63.27	0.63
9.	अधिकाँश बच्चे मिड-डे मील के समय ही विद्यालय आते हैं।	77	36.49	134	63.51	71	48.30	76	51.70	4.98*

10.	मिड-डे मील में विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है।	128	60.66	83	39.34	105	71.43	42	28.57	4.42*
11.	मिड-डे मील नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।	154	72.99	57	27.01	120	81.63	27	18.37	3.61
12.	मिड-डे मील हेतु शासन द्वारा नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।	141	66.82	70	33.18	98	66.67	49	33.33	0.08
13.	बालक स्वच्छता के साथ मिड-डे मील ग्रहण करते हैं।	134	63.51	77	36.49	94	63.95	53	36.05	0.01
14.	विद्यार्थियों को समय पर मिड-डे मील उपलब्ध करवाना टेढ़ी खीर है।	79	37.44	132	62.56	66	44.90	81	55.10	1.98
15.	भोजन बनाने के स्थान पर सफ़ाई का ध्यान रखा जाता है।	169	80.09	42	19.91	118	80.27	29	19.73	0.01
16.	भोजन पकाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध है।	160	75.83	51	24.17	111	75.51	36	24.49	0.01
17.	मिड-डे मील पकाने व पीने हेतु स्वच्छ पानी उपलब्ध है।	181	85.78	30	14.22	130	88.44	17	11.56	0.53
18.	भोजन पकाने के स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है।	135	63.98	76	36.01	95	64.63	52	35.37	0.02

* χ^2 मान 0.05 स्तर पर सार्थक।

तालिका 3

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मिड-डे मील योजना की व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

क्र.सं.	कथन	शिक्षकों की सँख्या (358)			
		सहमत	%	असहमत	%
1.	मिड-डे मील से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है।	298	83.24	60	16.76
2.	मिड-डे मील से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।	184	51.40	174	48.60
3.	मिड-डे मील से अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ है।	163	45.53	195	54.47
4.	मिड-डे मील से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु जागरूकता बढ़ी है।	261	72.90	97	27.10
5.	मिड-डे मील से बच्चों के कुपोषण में कमी आई है।	175	48.88	183	51.12
6.	यह योजना लागू होने से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।	256	71.51	102	28.49
7.	मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने में सफल हुई है।	137	38.27	221	61.73
8.	मिड-डे मील योजना निर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने में सफल रही है।	289	80.73	69	19.27
9.	मिड-डे मील देने से विद्यार्थी मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं।	179	50.00	179	50.00
10.	मिड-डे मील के कारण अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।	232	64.80	126	35.20
11.	मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों में सामाजिक सौहार्द की भावना विकसित कर पा रही है।	237	66.20	121	33.80
12.	मिड-डे मील योजना शिक्षकों के लिए एक भारित योजना है।	207	57.82	151	42.18
13.	मिड-डे मील योजना को और व्यवस्थित बनाकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए।	290	81.01	68	18.99

तालिका 3 में मिड-डे मील की प्रभावशालिता के संबंध में शिक्षकों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि कथन सँख्या 1, 8 एवं 13 क्रमशः मिड-डे मील से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है, मिड-डे मील योजना निर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने में सफल रही है तथा मिड-डे मील योजना को और व्यवस्थित बनाकर, विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए से, इन विद्यालयों में कार्यरत लगभग 80% शिक्षकों ने अपनी सहमति जतायी है। मिड-डे मील से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु जागरूकता बढ़ी है (कथन-4) तथा मिड-डे मील योजना के लागू होने से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है (कथन-6) से 70% से अधिक शिक्षक सहमत पाए गए। मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों में सामाजिक सौहार्द की भावना विकसित कर पा रही है (कथन-11), से लगभग 66% शिक्षक सहमत पाए गए। मिड-डे मील से अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है (कथन-10) तथा मिड-डे मील योजना शिक्षकों के लिए एक भारित योजना है (कथन-12) से लगभग 60% शिक्षक सहमत पाए गए तथा मात्र 38% शिक्षकों ने ही यह स्वीकार किया कि मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने में सफल रही है। शिक्षकों का यह दृष्टिकोण इस योजना के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। मिड-डे मील देने से विद्यार्थी मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं (कथन-9) पर लगभग 50% शिक्षकों ने ही अपनी सहमति व्यक्त की है। मिड-डे मील से बच्चों के कुपोषण में कमी आई है (कथन-5) तथा मिड-डे मील से अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ है (कथन-3) से, 50% से कम शिक्षक सहमत पाए गए।

तालिका 4 में मिड-डे मील की प्रभावशालिता संबंधी आयाम के विभिन्न कथनों पर बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस तालिका पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कथन सँख्या -3, मिड-डे मील से अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ है, से 211 पुरुष शिक्षकों में से 86 (40.76%) शिक्षक तथा 147 महिला शिक्षकों में 77 (52.38%) शिक्षिकाएँ सहमत थीं। इन दोनों समूहों के मध्य χ^2 मान 4.72 पाया गया। यह मान 1 df पर 0.05 स्तर पर सार्थक पाया गया। अन्य कथनों पर प्राप्त χ^2 मान 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं थे। अतः मात्र इस कथन के संबंध में शून्य परिकल्पना अस्वीकार कर दी गई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इस कथन पर पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर था। महिला शिक्षकों का दृष्टिकोण, पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा इस कथन के संबंध में अधिक सकारात्मक पाया गया।

निष्कर्ष

- मिड-डे मील योजना के व्यवस्था संबंधी आयाम के 18 कथनों में से मात्र 5 कथन पर ही सर्वाधिक तीन-चौथाई शिक्षक सहमत पाए गए।
- रसोइया के SCèkST अथवा निर्बल वर्ग

तालिका 4

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों का मिड-डे मील योजना की प्रभावशीलता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

क्र. सं.	कथन	पुरुष-शिक्षक (211)				महिला-शिक्षक (147)				χ^2
		सहमत	%	असहमत	%	सहमत	%	असहमत	%	
1.	मिड-डे मील से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है।	172	81.52	39	18.48	126	85.71	21	14.29	1.03
2.	मिड-डे मील से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।	101	47.87	110	52.13	83	56.46	64	43.54	2.30
3.	मिड-डे मील से अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ है।	86	40.76	125	59.24	77	52.38	70	47.62	4.72*
4.	मिड-डे मील से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु जागरूकता बढ़ी है।	155	73.46	56	26.54	106	72.11	41	27.89	0.16
5.	मिड-डे मील से बच्चों के कुपोषण में कमी आई है।	97	45.97	114	54.03	78	53.06	69	46.94	1.74
6.	यह योजना लागू होने से प्राथमिक विद्यालयों में नामाँकन बढ़ा है।	150	71.09	61	28.91	106	72.11	41	27.89	0.04
7.	मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने में सफल हुई है।	79	33.44	132	62.56	58	39.46	89	60.54	0.14
8.	मिड-डे मील योजना निर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने में सफल रही है।	165	78.20	46	21.80	124	84.35	23	15.65	2.11
9.	मिड-डे मील देने से विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं।	97	45.97	114	54.03	82	55.78	65	44.22	3.32
10.	मिड-डे मील के कारण अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।	135	63.99	76	36.01	97	65.99	50	34.01	0.15
11.	मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों में सामाजिक सौहार्द की भावना विकसित कर पा रही है।	137	64.93	74	35.07	100	68.03	47	31.97	0.36
12.	मिड-डे मील योजना शिक्षकों के लिए एक भारित योजना है।	128	60.66	83	39.34	79	53.74	68	46.26	1.70
13.	मिड-डे मील योजना को और व्यवस्थित बनाकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए।	177	83.89	34	16.11	113	76.87	34	23.13	2.77

* χ^2 मान 0.05 स्तर पर सार्थक

के होने का उल्लेख मध्याह्न भोजन संदर्शिका में किया गया है, इन शिक्षकों के विद्यालय में रसोइया उक्त वर्ग से है, इस महत्त्वपूर्ण कथन पर भी लगभग 60% शिक्षकों ने ही अपनी सहमति व्यक्त की।

- 2 रुपये प्रति छात्र कन्वर्जन कास्ट में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने से भी लगभग आधे शिक्षक ही सहमत थे। मिड-डे मील हेतु प्रदत्त धनराशि का ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति द्वारा दुरुपयोग किए जाने की बात से लगभग आधे शिक्षकों ने सहमति व्यक्त की।
- लगभग 40% शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि अधिकांश बच्चे मिड-डे मील के समय ही विद्यालय आते हैं और विद्यार्थियों को समय से भोजन उपलब्ध कराना टेढ़ी खीर है।
- मिड-डे मील से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है, नामांकन बढ़ा है तथा निर्बल वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित हुए हैं, से लगभग 80% शिक्षक सहमत थे।
- मिड-डे मील देने से विद्यार्थियों के मन लगाकर पढ़ने, इनके कुपोषण में कमी, स्वास्थ्य में सुधार होने एवं शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने में सफलता तथा अपव्यय की समस्या के समाधान संबंधी कथन से लगभग आधे शिक्षक ही सहमत पाए गए।
- कुल 31 कथनों में से मात्र तीन कथन पर ही पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर पाया गया। इन कथनों जैसे-अधिकांश बच्चे मिड-डे मील के समय ही विद्यालय आते हैं, मिड-डे मील में विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है तथा मिड-डे मील से अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ है, पर पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षक सार्थक रूप से अधिक सहमत पाईं गईं।

सुझाव

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि मिड-डे मील योजना की व्यवस्था एवं प्रभावशालिता के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं था। यह योजना, पूरी तरह से इन शिक्षकों की आकांक्षा के अनुरूप संचालित नहीं हो पा रही है, तथापि 80% से अधिक शिक्षकों ने इस बात से अपनी सहमति व्यक्त की कि मिड-डे मील योजना से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है, मिड-डे मील योजना निर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने में सफल रही है तथा मिड-डे मील योजना को और अधिक व्यवस्थित बनाकर विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु आकर्षित करना चाहिए। अत: सरकार/शासन तंत्र से जुड़े लोगों को इन प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से इस योजना की व्यवस्था एवं सफल संचालन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में बात करनी चाहिए तथा

उनके सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को और प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही इन शिक्षकों को परिचर्चा/संगोष्ठी इत्यादि के माध्यम से इस महत्त्वाकाँक्षी योजना के सामाजिक एवं शैक्षिक सरोकार से परिचित कराने एवं इस योजना में उनकी महती भागीदारी निभाने हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास का प्रयास किया जाना भी वांछनीय प्रतीत होता है। तभी इन योजना के सफल संचालन में इन शिक्षकों का मन से सहयोग प्राप्त हो सकेगा तथा योजना के महत्त्वाकाँक्षी लक्ष्य की प्राप्ति पूरी तरह से संभव हो सकेगी।

संदर्भ

बघेला, एच.एस., पी. एन. माहेश्वरी, एण्ड बी.एल. भोजक 1985. *शिक्षा तथा भारतीय समाज,* हर प्रसाद भार्गव, आगरा, पृ. 40

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 2005. नयी दिल्ली पृ. 208

भट्ट, एस. सी. एन्ड भागर्व, जी. के. 2005. *लैन्ड एन्ड पीपल*, कल्पाज़ पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 36

कुशवाहा, सुभाष चन्द्र, 2006 बच्चे फिर भूखें हैं,' *अमर उजाला,* मेरठ संस्करण, 20 दिसंबर, पृ. संपादकीय

उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा विभाग, 2006. *मध्याह्न भोजन संदर्शिका* पृ. 6

नदीम, '*मुद्दा/प्राथमिक शिक्षा, कब होंगे कामयाब*', 2006 *दैनिक जागरण*, बरेली संस्करण, 6 अगस्त, पृ. 9

सिंह, चन्द्रशेखर, 2007. *भूखे गणराज्य में जश्न कैसा? अमर उजाला*, मेरठ संस्करण, पृ. 16

भारत सरकार, *शिक्षा आयोग की रिपोर्ट,* 1966. शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली, पृ. 1

हॉज, के. एवं जे. जे. क्लिन, अन्य 1997. *लाईफ इवेन्ट्स अकॅरिंग इन फैमिलिज ऑफ चिल्ड्रेन विद रिकॅरेंट ऐबडॉमिनल पेन,* जरनल ऑफ साइकोमेट्रिक रिसर्च, अंक 28, पृ. 185-188

स्मिथ, एल. एवं के. ई. सिंकलेयर, 1998. *स्ट्रेस एंड लर्निंग इन दि हायर स्कूल सर्टिफिकेट। रिट्रिव्ड ऑन* 06/06/2008 फ्रॉम डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एजुकेशन.निक.इन